न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	जीसीएमएस नंबर 2024 / 7 मैन्युअल नंबर 01 / 2024
रजु दिनांक:	:–	25.04.2024

1. पृथ्वीराजसिंह पुत्र किशनसिंह उम्र 50 साल जाति राजपूत, निवासी ग्राम श्यामपुराकलॉ, तहसील निर्झरणा, जिला दौसा, राजस्थान

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम श्यामपुराकलॉ, तहसील निर्झरणा, जिला दौसा, राजस्थान
2. ग्राम पंचायत श्यामपुराकलॉ जरिये सचिव, ग्राम पंचायत श्यामपुराकलॉ तहसील निर्झरणा, जिला दौसा, राजस्थान

(गैर निगरानीकर्त्ता)

उपस्थित:– 01. निगरानीकर्त्ता की ओर से : श्री चन्द्रभान सिंह एडवोकेट
02. गैर निगरानीकर्त्ता नं. 1 की ओर से: : श्री मनीष राणा एडवोकेट

निर्णय

दिनांक: 07/07/2025

निगरानी विरूद्व आबादी भूमि विक्रय विलेख पट्‌टा दिनांक 05.06.2009 पट्‌टा संख्या 4216

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की ओर से ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलॉ द्वारा दिनांक 05.06.2009 को जारी पट्‌टा संख्या 4216 के विरूद्ध इस आशय की पेश की है कि पट्‌टे में उल्लेखित आबादी भूमि निगरानीकर्त्ता एव गैर निगरानीकर्त्ता नं0 1 के स्वामित्व की एवं पुश्तैनी आबादी भूमि है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमती अनोख बाई पत्नी श्री किशनसिंह के नाम से पट्‌टा जारी किया गया है, इस नाम से कोई भी महिला ग्राम श्यामपुरा कलॉ में नही है, इसलिये पट्‌टा निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकार की मॉ का नाम अनोप बाई है जो गैर निगरानीकर्त्ता 1 की पत्नी थी। निगरानीकर्त्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्‌टे में ना तो किसी आवेदक का फोटो लगाया है ना ही उसको प्रमाणित किया है तथा अपीलाण्ट की मॉ के मिलते जुलते नाम का पट्‌टा जारी कर दिया गया। जिसकी वजह से प्रार्थी की मॉ के पट्‌टे का नामान्तरण भी उनके वारिसान के नाम नही खुल सकता है। अतः पट्‌टा निरस्त किये जाने योग्य है।

निगरानीकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पेश कर ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलॉ द्वारा दिनांक 05.06.2009 को जारी पट्टा संख्या 4216 निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकारान की तलवी की गई। ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलॉ से पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्त्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए श्यामपुरा कलॉ द्वारा दिनांक 05.06.2009 को जारी पट्टा संख्या 4216 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 4216 दिनांक 05.06.2009 ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलॉ पर निर्णय पारित करने से पूर्व पट्टा धारक अनोख बाई को सुना जाना आवश्यक है परंतु निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रकरण में अनोख बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः न्यायालय के विनम्र मत में अनोख बाई को पक्षकार बनाये जाने के अभाव में निगरानी विरूद्ध आबादी भूमि विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 05.06.2009 पट्टा संख्या 4216 खारिज किया किया जाना उचित है अतः निगरानीकार की निगरानी विरूद्ध आबादी भूमि विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 05.06.2009 पट्टा संख्या 4216 अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07/07/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा